# समक्ष श्रीमान राजस्व मंड़ल ग्वालियर म0प्र0

रा0पु0प्र0क्र0:–.............................बी/121 वर्ष 2016–17 संस्थित दि0–...............................

निग- 3727- I-16

शैलेन्द्र सोनी आत्मज गोविंद सोनी
पूर्व संचालक, लोक सेवा केन्द्र खुरई
निवासी कबीर वाड़ खुरई
तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0 ..........................पुनरीक्षण आवेदक

//विरूद्ध//

म0प्र0 शासन द्वारा
तहसीलदार खुरई
वसूलकर्ता अधिकारी
तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0 ..........................पुनरीक्षण अनावेदक

## राजस्व पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959

पुनरीक्षण आवेदक शैलेन्द्र सोनी आत्मज गोविंद सोनी पूर्व संचालक, लोक सेवा केन्द्र खुरई निवासी कबीर वाड़ खुरई तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0 (जिसे आगे केवल आवेदक कहा जावेगा), अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0 (जिन्हें आगे केवल अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा), के न्यायालय में पंजीक्रत राजस्व वसूली प्रकरण क्र0 01अ/76 वर्ष 2015–16 (जिसे आगे केवल मूल प्रकरण कहा जावेगा), में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06/10/2016 (जिसे आगे केवल विवादित आदेश कहा जावेगा), से पीड़ित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया यह विवादित आदेश विधि एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो से विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।
2. यह कि, विवादित आदेश एक अधिकारिता विहीन, अधिकारी द्वारा अनुचित (Improper), अवैध (Illegal), निरंकुश/ स्वेच्छाचारी (Arbitrary), अनियमित, अशुद्ध एवं दुर्भावना से प्रेरित होकर पारित किया गया आदेश है। अतः प्रारंभ से ही शून्यवत् (Void Ab initio) है। अतः विवादित आदेश पुनरीक्षण में सुनवाई कर निरस्तनीय है।
3. यह कि, यह आवेदन पत्र पुनरीक्षण हेतु नियत विहित समयावधी के अंदर ही प्रस्तुत किया जा रहा है अतः सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने योग्य है।
4. यह कि, आवेदक विवादित अंतरिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है। जो **अनुलग्न 01** के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

## पुनरीक्षण के आधार

5. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मूल प्रकरण का अभिलेख आहूत कर अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रकरण, " भू–राजस्व की वसूली" अथवा " भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली " के दो विकल्पों में से किस मद में (शीर्ष) में दर्ज किया जाना है, यह आदेशित ही नहीं किया है। ऐसे किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में दर्ज यह प्रकरण प्रारंभ से ही शून्य करणीय ( Void Ab initio) है, अतः निरस्तनीय है।
6. यह कि, उपरोक्तानुसार ही मूल अभिलेख में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अनावेदक की सुनवाई किये ही उसकी लोक सेवा प्रबंधन के जिला कार्यालय में सुरक्षा पूंजी कोषालय में जमा करने का आदेश, अपने आप में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं स्वेच्छाचारी (Arbitrary) आदेश है जो निरस्तनीय है।

XXXIX(a)-BR(H)-11



# राजस्व मंड़ल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ
## प्रकरण क्रमांक– R 3727-I/16 जिला– सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27-12-16 | आवेदक की ओर से श्री संकेत श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी उपस्थित।<br>उभय पक्ष के अभिभाषकगण के मौखिक तर्क श्रवण किये। आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में उनके द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पत्र में उल्लेखित अभिवचनों पर बल देते हुये प्रमुखतः दो विंदुओं, क्रमशः<br>(1)– तहसीलदार खुरई द्वारा उनके समक्ष लंबित विवादित राजस्व वसूली प्रकरण 1अ/76 वर्ष 2015–16 में विधि विरूध एवं मनमानी प्रक्रिया अपनाते हुये दूषित आदेश पारित किये जाने, के संबंध में तथा (2)– उपरोक्त वसूली प्रकरण का मूल आदेश न्यायालय कलेक्टर सागर में पंजीबद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक 107 बी/121 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11/03/2016, उनके न्यायिक श्रवण क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत होने के कारण निरस्त किये जाने तथा इसके परिणाम स्वरूप तहसीलदार खुरई का विवादित आदेश दिनांक 06/10/2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।<br>विंदु क्रमांक (1) – तहसीलदार खुरई के न्यायालय में लंबित राजस्व वसूली प्रकरण विधि विरूद्ध होने तथा उसकी सुनवाई मनमाने तरीके से करने के संबंध में आवेदक के अभिभाषक का कथन है कि, तथाकथित न्यायालय मुद्रांकों की कमी, ''भूमि पर कर'' न होने से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूलनीय नहीं है। इसे विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है। अतः यह प्रकरण मद अ/76 के अतंर्गत प्रचलनीय नहीं है। अभिभाषक का आगे कथन है कि, आवेदक ने इस आपत्ति के अलावा अन्य विंदुओं से संबंधित एक लिखित आपत्ति पत्र वसूलकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर, उसका निराकरण, स्वयं अथवा विभागीय अधिकारी से कराने के पश्चात ही अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। लेकिन वसूली अधिकारी तहसीलदार खुरई ने, उपरोक्त आवेदन पत्र को, मार्क करने के उपरांत भी, न तो उसका प्रस्तुती करण नोट सीट में अंकित किया और बिना सुनवाई के ही अचल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी कर दिया।<br>आवेदक के अभिभाषक ने आगे कहा कि इतना ही नही, आवेदक ने उसी आपत्ति आवेदन पत्र की एक– एक प्रति पेशी दिनांक को ही पंजीकृत ड़ाक से क्रमशः तहसीलदार खुरई, अनुविभागीय | |

[कृ.प.उ.

# राजस्व मंड़ल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक– **R 3727-I/16** जिला– सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | अधिकारी राजस्व खुरई, कलेक्टर सागर एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन जिला सागर को भी प्रेषित किया। ड़ाक की पोस्ट ऑफिस द्वारा दी गई रसीदों की प्रति भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया की आवेदक ने पेशी के दूसरे दिन उपरोक्त आपत्ति पत्र की एक प्रति–लिपि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई के अधीकृत कार्यालय कर्मचारी को प्रदत्त कर उनसे पावती भी प्राप्त की थी। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई ने इन सब को नजर अंदाज कर, दिनांक 06/10/2016 को आवेदक के विरूद्ध अचल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई का यह आदेश एक अधिकारिता विहीन, अनुचित, अवैध आदेश है। अतः निरस्त किया जावे। अनावेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में असहमति व्यक्त की। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार खुरई के विवादित राजस्व प्रकरण की संपूर्ण नस्ती की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।<br>विंदु क्रमांक (1) पर निर्णय हेतु तहसीलदार खुरई के न्यायालय में पंजीबद्ध राजस्व प्रकरण क्र0– 1 अ/76 वर्ष 2015–16 आदेश दिनांक 06/10/2016 की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के सूक्ष्म अवलोकन से आवेदक के कथनों की पुष्टि होती है। इस विंदु पर किशन लाल विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य (2004रा0नि0 7 उच्च न्यायालय) एवं सूर्या एग्रोइल लिमिटेड़ (मे) विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य 2005 रा0नि0 162 में स्पष्टतः निर्णीत किया गया है कि, मांग की सूचना जारी होने के पश्चात अनावेदक द्वारा वसूलनीय राशि के संबंध में यदि आपत्ति उठाई जाती है तो वकाया राशि आरोपित करने बाले अधिकारी अथवा वसूली अधीकारी सुनवाई कर उसका निराकरण करने के लिये आबद्ध हैं। कुर्की का आदेश ऐसी सुनवाई कर आपत्ति के निराकरण के पूर्व नही दिया जा सकता।<br>प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के हर संभव प्रयास के बावजूद भी प्रस्तुत की गई आपत्ति पत्र का निराकरण न तो स्वयं ही किया गया है, और न ही निराकरण हेतु कलेक्टर सागर को ही भेजा गया है। अतः प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06/10/2016 विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है। अतः निरस्त किया जाता है। | |

# राजस्व मंड़ल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

## प्रकरण क्रमांक– R 3727-I/16 जिला– सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने विंदु क्रमांक (2) में विवादित वसूली प्रकरण में वसूलनीय राशि के आरोपण कर्ता अधीकारी कलेक्टर सागर के न्यायालय में पंजीकृत राजस्व प्रकरण क्रमांक 107 बी/121 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11/03/2016 के क्षेत्राधिकार से परे, अधिकारों का दुरूपयोग कर पारित आदेश होने के कारण, प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत आदेश होने के कारण, उसे निरस्त करने का अनुरोध किया है।<br>आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक निर्णय राधेश्याम शेठ विरूद्ध म0प्र0 राज्य (1977 रा0 नि0 339 उच्च न्याया0) का उल्लेख व प्रस्तुतीकरण करते हुये अनुरोध किया कि यह न्याय निर्णय द्वारा सुस्थापित सिद्धांत है कि, यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय न्यायिक क्षेत्राधिकार का गलत निर्धारण किया हो तो पुनरीक्षण न्यायालय इस अवैधानिकता का परीक्षण करने हेतु सक्षम है।<br>चूंकि न्यायालय तहसीलदार का प्रश्नाधीन प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय में पंजीबद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक 107 बी /121 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11/03/2016 का ही पारिणामिक प्रकरण है, अतः इस प्रकरण के गुण दोषों पर समीक्षा हेतु पुनरीक्षण अधीकारी की हैसियत से समीक्षा करने हेतु राजस्व मंड़ल अधीकृत है।<br>आवेदक के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि, यह मामला म0प्र0 शासन द्वारा संचालित नई योजना " लोक सेवा प्रबंधन" से संबंधित है। इस हेतु म0प्र0 शासन द्वारा म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 एवं उसमें संशोधन अधीनियम 2011 म0प्र0 विधाान सभा में पारित कर उसके अधीन नियम बनाये हैं। इन नियमों के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड़ में लोक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। उपरोक्त केन्द्रों के संचालन हेतु संचालकों की नियुक्ति भी की गई है। म0प्र0 राज्य लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालकों की नियुक्ति हेतु "आर0 एफ0 पी0 दस्तावेज" जारी कर सचिव जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी तथा संचालकों के बीच संविदा निष्पादित करा कर लोक सेवा केन्द्रों का संचालन कराया जा रहा है। आवेदक द्वारा आर0एफ0पी0 दस्तावेज की प्रिंटेड़ प्रति भी प्रस्तुत की है।<br>आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि, उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत संचालकों की नियुक्ति, उन पर नियंत्रण, उन्हें दंड़ित करने | |

[कृ.प.उ.

# राजस्व मंड़ल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक– **R 3727-I/16** जिला– सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | एवं संविदा के खंड़न का अधिकार सचिव जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी को है, कलेक्टर को नही। अभिभाषक का आगे कथन है कि, अपरोक्त प्रावधानों में कलेक्टर की प्रास्थिति (STATUS) मात्र एक पदाभिहित अधिकारी की है जो अन्य पदाभिहित अधिकारियों के समान ही सिर्फ अपने विभाग से संबंधित चयनित सेवांओं के प्रदाय करने के लिये अधिकृत हैं, संचालकों को दंड़ देने के लिये नही। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार खुरई के द्वारा कल्पनांओं पर आधारित अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक गणनांओं पर आधारित प्रतिवेदनों के आधार पर यह वसूली की राशि निर्धारित कर संचालक की संविदा का विखंड़न आदेशित किया है, जो अधिकार विहीन है।<br>मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आर0एफ0पी0 दस्तावेजों के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि, लोक सेवा केन्द्रों के संचालकों की नियुक्ति, केन्द्रों के संचालन पर नियंत्रण, संचालकों पर कार्यवाही या दंड़ देने एवं आवश्यकता पड़ने पर संविदा विखंड़ित करने का अधिकार केवल सचिव जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी को है, कलेक्टर को नहीं। हालांकी यह दोनो पद एक ही व्यक्ति में सन्नहित हैं, फिर भी दोनो पद व कार्यालय पृथक– पृथक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में कलेक्टर द्वारा संचालक के विरूद्ध अपने न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है, जो अधिकार क्षेत्र से परे है। इसके अतिरिक्त तथ्यात्मक रूप से किसी संचालक द्वारा जारी समस्त 42000 नकलों में से किसी में भी, मुद्रांक न लगाने का तथ्य विश्वसनीय नही है। इस तथ्य का खंड़न अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन क/स्टेनो/2015/2994 दिनांक 26/12/2015 में भी किया है।<br>उपरोक्त तर्कों एवं अभिलेखों की समीक्षा से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि, कलेक्टर सागर द्वारा उनके न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 107 बी/121 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11/03/2016 अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया है। अतः यह आदेश भी प्रारंभ से शून्य एवं अकृत होने से स्थिर रखे जाने योग्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है।<br>उपरोक्त आधारों पर कलेक्टर सागर के न्यायालय में पंजीबद्ध राजस्व प्रकरण क्र0– 107 बी /121 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11/03/016 एवं न्यायालय तहसीलदार खुरई के | |

[कृ.प.उ.

# राजस्व मंड़ल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

**प्रकरण क्रमांक— R 3727-I/16 जिला— सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | न्यायालय में दर्ज पारिणामिक प्रकरण क्र0— 1 अ /76 वर्ष 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 06/10/2016 निरस्त करते हुये यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। | |